[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड

अधिसूचना
सं. 16/2024- केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 6 अगस्त, 2024

का.आ….(अ)—केंद्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 2024 (2024 का 8) की धारा 1 की उपधारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, -

(क) तारीख 1 अक्तूबर, 2024 को, उस तारीख के रुप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम की धारा 13 के उपबंध प्रवृत्त होंगे;

(ख) तारीख 1 अप्रैल, 2025 को, उस तारीख के रुप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम की धारा 11 और 12 के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

[फा.सं. सीबीआईसी-20006/20/2023-जीएसटी]

(राघवेन्द्र पाल सिंह)

निदेशक